न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
शम्भूलाल बनाम किशनलाल
GCMS No- 2016/00721
प्रकरण संख्या 86/2015

मूल वाद में अन्तिम संशोधित डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)
पीठासीन अधिकारीः– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (RAS)

प्रकरण सं. 86/2015 वाद
GCMS NO.- 2016/00721

1. श्री शम्भूलाल पिता नानुराम सुथार, उम्र 58 साल निवासी रठांजना, तहसील निम्बाहेड़ा। .....वादी

// बनाम //

1. किशनलाल पिता नानूराम सुथार, उम्र 64 साल निवासी रठांजना, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. मोतीलाल पिता नानूराम सुथार, आयु 55 साल निवासी रठांजना, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा। ...प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जाब्ता दीवानी</u>

1. प्रकरण मे दिंनाक 24.12.2012 को अन्तिम डिक्री जारी की गई थी। अधिवक्ता वादी ने धारा 152 जाब्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण संख्या 63/2007 वाद दिनांक 24.12.2007 को जारी अन्तिम डिक्री और तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत फर्द विभाजन प्रस्ताव में लिपिकीय त्रुटी से अन्तर रह गया है। अतः संशोधन अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत फर्द विभाजन प्रस्ताव तथा दिनांक 24.12.2007 को न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तिम डिक्री में अन्तर प्रथम दृष्टयता की प्रकट होता है। धारा 152 के प्रावधानो के तहत लिपिकीय भूल और गणितिय त्रृटी को सुधारा जा सकता है। इसमें न्यायालय के निर्णय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा तथा सभी प्रभावित पक्षो को उचित न्याय प्राप्त होगा।

2. वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए दावा वाद अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया।

3. अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है। प्रकरण मे निम्नानुसार वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ग्राम रठांजना भूमि का बंटवारा पक्षकारो के मध्य निम्नानुसार किया जाता हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
शम्भूलाल बनाम किशनलाल
GCMS No- 2016/00721
प्रकरण संख्या 86 / 2015

1.– वादी शम्भूलाल पिता नानूराम सूथार निवासी रठांजना के हिस्से में रहेगीं

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान रूपये में
580	5.15 बीघा	का02	8.62रू
910 / 753	0.04 बीघा		

कुल किता– 2 कुल रकबा 5.19 बीघा कुल लगान 8.62 रूपये

2.–प्रतिवादी श्री किशनलाल पिता नानुराम सुथार निवासी रठांजना के हिस्से में रहेगी।

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान रूपये में
754	0.07 बीघा	का02	0.52रू
755	1.00 बीघा	का01	1.44रू
910 / 753	4.04 बीघा		
1030 / 753	0.08 बीघा	धा0बी	0.40

कुल किता–4 कुल रकबा 5.19बीघा कुल लगान 2.36 रूपये

3.–प्रतिवादी श्री मोतीलाल पिता नानुराम सुथार निवासी रठांजना के हिस्से में रहेगी।

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान रूपये में
754	2.14 बीघा	का02	4.04रू
757	0.03 बीघा	का02	0.19रू
1053 / 753	3.06 बीघा	धा0बी	3.29रू

कुल किता–3 कुल रकबा 5.23 बीघा कुल लगान 7.52 रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:59 IST
Reason: SelfAttested

4.–वादी शम्भूलाल पिता नानूराम सुथार [illegible] किशनलाल, मोतीलाल पिता नानूराम सुथार निवासी रठांजना में [illegible] रहेगी।

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म
754	[illegible] बीघा	आ0चा0
910 / 753	0.02 बीघा	आ0चा0

कुल किता–2 कुल रकबा 0.04 बीघा

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
शम्भूलाल बनाम किशनलाल
GCMS No- 2016/00721
प्रकरण संख्या 86 / 2015

4. उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में भू–प्रबन्ध के बाद के मिलान खसरा से जांच कर नये खसरा नम्बर , रकबा के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने पर सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

5. निर्णय आज तारीख 29.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया जाकर कम्प्युटराईजड कराया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

29/12/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:59 IST
Reason: SelfAttested